न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
37/2024	06.03.2024	04.12.2024

अनवान

1. राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति तिवाडी ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भगवतीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति तिवाडी ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. पुष्पादेवी पुत्री रामचन्द्र जाति तिवाडी ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गायत्रीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति तिवाडी ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. पिंकी पुत्री रामचन्द्र जाति तिवाडी ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र मिठुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. उषा पुत्री मिठुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. प्रेमशंकर पुत्र मिठुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. मथुरालाल पुत्र कजोडीमल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन फौत के बजाय–पोत्र अनुकुल पुत्र सम्पत जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का मोहल्ला बेगु तहसील बेगु जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. मिठुलाल पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
6. शिवलाल पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
7. अणछी पत्नी जमनालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
8. मोतीलाल पुत्र केशु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. नाथुलाल पुत्र केशु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. मोहनलाल पुत्र केशु जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
11. सत्यप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

14\. शिवशंकर पुत्र मिठुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच — प्रार्थीगण
एकतरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 1154 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 4263, 4271, 4280 कुल किता 03 कुल रकबा 0.41 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 13.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 8, 9, 11 से 14 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 7 व 10 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने बाबत् आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर किये जाने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 1154 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 4263, 4271, 4280 कुल किता 03 कुल रकबा 0.41 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, कपासन ● जिला चित्तौडगढ

(राजेश सुथालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ